प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 137/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

राघवेन्द्र शरण जोशी पताः गांव नारायणपुरा, तहसील–भीण्डर, पोस्ट–बडगांव, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी भीण्डर उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थीगण**

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 11.11.2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 23.08.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के कार्यालय में प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना को दिनांक 27.08.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 2 को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अंतरित कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं लेने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/137/24/1141–43 एवं 1144–45 दिनांक 14.10.2024 से लिखा गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 1 लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर द्वारा अपने जवाब जरिये प.41/2/लो.सू.अ./प्रथम अपील/137/2024/1065 दिनांक 18.10.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी भीण्डर से संबंधित से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 4291392781 दिनांक 27.08.2024 द्वारा अन्तरित कर दिया गया एवं अंतरण की सूचना से प्रार्थी को भी निर्धारित समयावधि में दी जा चुकी है अतः अपील खारिज फरमायी जावें।

प्रत्यर्थी संख्या 2 सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी भीण्डर द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक 400 दिनांक 08.11.2024 से निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही बिन्दु संख्या 1 से 8 तक सूचना चाही गई थी। उक्त सूचना मय प्रतिलिपि अपीलाण्ट को दिनांक 08.11.2024 को प्रेषित की जा चुकी है एवं अपीलाण्ट की प्राप्ति रसीद संलग्न है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 23.08.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

संख्या 1 से संबंधित नहीं होने से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत दिनांक 27.08.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 2 को अंतरित कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना दिनांक 08.11.2024 से उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर उदयपुर (राज.), सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, उदयपुर को सूचनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर